

# FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर, मुकाम दीगोद जिला कोटा  
कान्ति बाई वगैरा बनाम लोकेश वगैरा

रूम मुकदमा 53 188 RT Act

मुकदमा नम्बर सन् 171 / 2025

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किरा हुकम की तामील में जारी हुए
0.2025	<p>वाद पत्र, वादीगण कान्ति बाई वगैरा की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रिजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण की जर्ने रजिस्टर्ड एडी के तलवी सम्मन से की जावे। मिसल वास्ते तलवी इन्तजार में दिनांक 28.11.2025 को पेश हो।</p> <p>14/11/2025 पत्रावली आज पेश हुई। वादीगण कान्ति बाई व अन्य द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत वाड की विज्ञे कर पुनः वाड पेश करने की अनुमति दिये जाने बाबत पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। उक्त वाड में सभी प्रकार एक ही परिवार के होने से पक्षवादी के मध्य अब किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा है। इसलिए वादीगण उक्त वाड की विज्ञे के आधार पर खारिज खाना चाहते हैं। प्रार्थीगण के पत्र का अवलोकन किया गया पत्रावली में सेलगा अन्य दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त न्यायिक में प्रार्थीगण का पत्रावली स्वीकार दिये जाने योग्य प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत वाड विज्ञे कर पुनः वाड पेश करने की अनुमति दिये जाने बाबत स्वीकार किया जाकर वाड की विज्ञे कर गया वाड पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कर की जाकर हाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को सरे इजलास हुआ गया।</p>	